न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 70/20   जी.सी.एम.एस. 2020/00096

1. बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नी मेघराज उम्र 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. सीमा उर्फ श्यामा बाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नी हरिओम उम्र 43 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा , तहसील दीगोद, जिला कोटा।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 12.01.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कराने बाबत वाद—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी, तहसील कनवास, जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नई 265 के खसरा नबंर 1223 की रकबा 0.32 है0, खसरा नबंर 639 की रकबा 0.75 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.07 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उक्त आराजी वादीगण के पिता ग्यारसीराम की मृत्यु के पश्चात् खुले फोती इंतकाल में वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी में वादी नबंर 01 का घर का बोलता नाम बृजेश लिखवा दिया जबकि वादी नबंर 01 के बाद में बने सभी दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी नबंर 01 का नाम कालीबाई दर्ज हैं जो ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा निवासी मेघराज के ब्याही है। तथा इसी प्रकार वादी नबंर 02 का नाम भी फोती इंतकाल के समय घर का बोलता नाम सीमा लिखा दिया जबकि वादी नबंर 02 के आधार कार्ड राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी नबंर 02 का नाम श्यामाबाई दर्ज हो रहा है। वादी नबंर 02 का विवाह ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा निवासी हरिओम के साथ हुआ है।

यह कि वादी के राजस्व रिकार्ड एवं पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आ जाने से वादी को कृषि ऋृण लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, सरकारी कांटे पर फसल बेचने , बिजली कनेक्शन लेने, इत्यादि में भारी परेशानी आ रही है। [illegible] वादीगण वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपना नाम [illegible] वादी नबंर 01 का नाम बृजेशबाई के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51.43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible] कनवास जिला कोटा (राज0)

र कालीबाई पुत्री गयारसीराम पत्नी मेघराज व वादी नबंर 02 का नाम सीमा के स्थान पर श्यामबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नी हरिओम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 12.01.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वाद में वादीगण ग्राम पीसाहेडा की आराजी खसरा नबंर 1223 रकबा 0.32 है0, खसरा नबंर 639 रकबा 0.75 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.07 है0, में के राजस्व रिकार्ड में बृजेश पुत्री ग्यारसीराम व सीमा पुत्री ग्यारसीराम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 बृजेश पुत्री ग्यारसीराम के स्थान पर बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम व वादी नबंर 02 सीमा के स्थान पर सीमा उर्फ श्यामाबाई पुत्री ग्यारसीराम दर्ज किये जाने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और किसी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र, मुकुट बिहारी पुत्र ग्यारसीराम जाति धाकड निवासी पीसाहेडा तहसील कनवास का शपथ–पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान –पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत खजूरी द्वारा दिनांक 30.09.2020 को जारी प्रमाण पत्र पेश किये गये। जिसमें वादीगण की प्रार्थना–पत्र को सही बताते हुये मुताबिक वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी, तहसील कनवास, जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नई 265 के खसरा नबंर 1223 की रकबा 0.32 है0, खसरा नबंर 639 की रकबा 0.75 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.07 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 बृजेश पुत्री ग्यारसीराम के स्थान पर बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम व वादी नबंर 02 सीमा के स्थान पर सीमा उर्फ श्यामाबाई पुत्री ग्यारसीराम दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी, तहसील कनवास, जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नई 265 के खसरा नबंर 1223 की रकबा 0.32 है0, खसरा नबंर 639 की रकबा 0.75 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.07 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 बृजेश पुत्री ग्यारसीराम के स्थान पर बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नि मेघराज व वादी नबंर 02 सीमा के स्थान पर सीमा उर्फ श्यामाबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नि हरिओम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
राजेश डागा (आर.ए.एस.)
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 70/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00096

1. बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नी मेघराज उम्र 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. सीमा उर्फ श्यामा बाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नी हरिओम उम्र 43 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम पीसाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा , तहसील दीगोद, जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

<u>निर्णय</u>

मुकदमा नं. 70/20 सन् 2020 तारीख फैसला 12.01.2020 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पीसाहेडा पटवार हल्का खजूरी, तहसील कनवास, जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नई 265 के खसरा नबंर 1223 की रकबा 0.32 है0, खसरा नबंर 639 की रकबा 0.75 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.07 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 बृजेश पुत्री ग्यारसीराम के स्थान पर बृजेश उर्फ कालीबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नि मेघराज व वादी नबंर 02 सीमा के स्थान पर सीमा उर्फ श्यामाबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नि हरिओम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/01/2021 माह जनवरी **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
...दावा ''''	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	------NIL------	
...कालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
...ह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
...ाना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
...ा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
...स कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
कनवास जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested